मा0 एन0 जी0 टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2023 के कम में श्री चन्द्रशेखर गुप्ता पुत्र श्री किशन गुप्ता निवासी 103, गली नं0–03 सांई पुरम दिल्ली रोड मेरठ के प्रत्यावेदन दिनांक 22.08.2023 के प्रत्यावेदन का निस्तारण

मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली के द्वारा एम0 ए0 नं0 61/2023 में एम0 ए0 नं0 26/2023 में ई0ए0 नं0 14/2019 में ओ0 ए0 नं0 736/2018 चन्द्र शेखर गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू0पी में पारित आदेश 16.08.2023 के कम में अपना प्रत्यावेदन दिनांक 22.08.2023 रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रस्तुत किया है। मा0 एन0जी0टी के आदेश दिनांक 16.08.2023 में यह उल्लेख किया गया है कि "1. The grievance of the applicant is that order passed in O.A. No. 736/2018 was not strictly complied with by the the District Magistrate, Meerut. The issue for consideration in the Original Application was for removal of encroachment from the public park at Sai Puram Delhi Road, Meerut, Uttar Pradesh.

2. The applicant in person has submitted that no Appeal is pending at present. The applicant is directed to file an affidavit and copy of the order passed in the Appeal.

3. Issue Notice to District Magistrate, Meerut, returnable within four weeks. Respondents are directed to submit their reply as to how order passed in O.A. No. 736/201y8 has not complied with. The compliance report and further action taken report be filed within 30 days by e-mail at **judicial-ngt@gov.in** preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

4. Applicant is directed to take necessary steps for service to the respondents by both ways and also on available email.

5. Applicant is directed to supply the copy of the application and relevant documents to the Respondent(s) within a week and after compliance of service, the applicant has to submit an affidavit that the notice and copy of the application have been served upon the respondent(s).

6. List for further consideration on 10.11.2023."

श्री चन्द्रशेखर द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 21.04.2023 में उल्लेख किया है "सांईपुरम इण्डस्ट्रियल एरिया दिल्ली रोड में मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र संख्या 61 दिनांक 30.12.1982 है, में एक पब्लिक पार्क, जिसका क्षेत्रफल 84X279 वर्ग फिट तथा उपरोक्त भूमि का खसरा नं0 एच–2085 ई0 2082 है। पूरा सांईपुरम इण्डस्ट्रियल एरिया मानचित्र के मुताबिक ही बसा हुआ है व पूरे इण्डस्ट्रियल एरिये में एक ही पार्क है। मेहर सिंह, रघुवीर सिंह उर्फ मुनीम, राकेश मक्कड़ उर्फ मलिक, धर्मवीर दुग्गल, दिलशाद इत्यादि ने पार्क पर कब्जा किया है। यह सभी व्यक्ति मोस्ट वान्टेड अपराधी व 2–1/2 लाख का इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो के गुर्गे हैं। अजय सहगल उर्फ सोनू, नवनीत सहगल, राजू, लल्लू मक्कड़ और संजय गुप्ता (लंदन स्पोर्टस), राजीव जैन, अक्षय उर्फ पिल्ला, चरण सिंह भाटिया, शिव कुमार गुप्ता इत्यादि सांईपुरम इण्डस्ट्रियल एरिये के अध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री बने हुए हैं। यह सभी व्यक्ति मोस्ट वान्टेड अपराधी बदन सिंह बद्दो के गुर्गे हैं। पुलिस अभिरक्षा में बदन सिंह बद्दो को फरार कराने में नामजद हैं। सांईपुरम का दुर्भाग्य है कि पेशेवर अपराधी व भू–माफिया सांईपुरम एसोसियेशन के अध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री बने हुए हैं। मैंने एक एम0ए0नं0 26/2023 के एक्जीक्यूशन एप्लीकेशन नं0–14/2019 में ओ0ए0 नं0–736/2018 मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसीपल बेंच नई दिल्ली में दायर की थी। मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसीपल बेंच नई दिल्ली द्वारा दिनांक 20.04.2023 को दिये गये आदेश की कोपी साथ में दे रहा हूं। व इन सभी अपराधियों का बद्दों के साथ नाचते गाते हुए वीडियो भेज रहा हूं। आपसे प्रार्थना है कि तत्काल सांईपुरम पब्लिक पार्क को कब्जामुक्त करायें। पार्क पर कब्जा किये हुए भू–माफियाओं पर भू–माफिया एक्ट लगाकर कार्यवाही व पार्क पर कब्जे से पहले एक देवी का मंदिर था, मंदिर तोड़ दिया गया है। पार्क को कब्जा मुक्त करके देवी का भव्य मंदिर निर्माण करायें।" तथा दिनांक 22.08.2023 को दिये गये प्रत्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि "नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसीपल बैन्च, नई दिल्ली द्वारा दि0 20.04.2023 को जिला मजिस्ट्रेट मेरठ को 'सांई पुरम पब्लिक पार्क' से चार महीने बीतने के बाद भी कब्जा मुक्त नहीं कराया गया है। सांई पुरम कालोनी का इतिहास–श्री अजीज अहमद, फहीमुददीन, महीनुददीन, सुलेमान–चार भाईयों ने कालोनी विकसित करने के लिए दिनांक 30.12.1982 को मेरठ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र संख्या–81 बनवाया। सांई पुरम कालोनी विकसित होने के बाद अजीज अहमद ने बेईमानी करते हुए 'सांई पुरम पब्लिक पार्क' को मैहर सिंह, देवेन्द्र सिंह, रघुवीर सिंह व सुमन रानी पत्नी रघुवीर सिंह को बेच दिया। यह चारों व्यक्ति जानते थे यह पब्लिक पार्क है। रघुवीर सिंह व सुमन रानी ने राकेश मक्कड़, धरमवीर दुग्गल, दिलशाद व अन्य को बेच दिया।

श्रीमान जी दिनांक 20.04.2023 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली, जिला मजिस्ट्रेट मेरठ को कानून के मुताबिक सांई पुरम पब्लिक पार्क पर कार्यवाही करने का आदेश दिया था। आदेश में दो महीने का समय था। लेकिन चार महीने बीतने के बाद भी आपने कोई कार्यवाही नहीं की है जबकि प्रार्थी आपसे लगातार मिलता रहा है और आप कार्यवाही का आश्वासन देते रहे हैं। मेरे व मेरे परिवार की फोन पर हुई बातचीत लगातार सुनी जा रही हैं। प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.04.2023, 01.05.2023, 07.05.2023, 17.05.2023 व 24.05.2023 को रजिस्टर्ड पत्र भेजकर पब्लिक पार्क को कब्जा हटवाने की प्रार्थना की गयी, लेकिन आपने कोई कार्यवाही नहीं की। दिनांक 17.06.2023 को आपने प्रार्थी को नोटिस भेजकर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया था और रंजीत सिंह, ओ0एस0डी0 मेरठ विकास प्राधिकरण से प्रार्थी द्वारा सांई पुरम कालोनी का मानचित्र संख्या–61 दिनांक 30.12.1982 देखकर शाम तक रिपोर्ट देने के लिए कहा था।

सांई पुरम पब्लिक पार्क पर कब्जा किये हुए मैहर सिंह, रघुवीर सिंह, सुमन रानी व इनके साथी चैरणजीत सिंह भाटिया उर्फ हैप्पी, अजय सहगल उर्फ सोनु, राकेश मक्कड़ उर्फ मलिक, संजय गुप्ता, राजु सहगल–शातिर व पैशेवर अपराधी हैं व मोस्ट वाण्टेड अपराधी व 5 लाख के इनामी बदमाश वदन सिंह वददो के साथी हैं वदन सिंह वददो को पुलिस अभिरक्षा से फरारी में नामजद है। पार्क पर कब्जा किये हुए

भु–माफियाओं को सुनियोजित तरीके से अपने बचाव का पुरा समय दिया जा रहा है जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी जिला मजिस्ट्रेट को पार्को, सरकारी जमीनों से कब्जा मुक्त कराने के निर्देश हैं।''

उनके द्वारा तत्काल पार्क से कब्जा हटवाने और पार्क का सौन्दर्यकरण कराने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के संबंध में अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ द्वारा अपनी आख्या पत्रांक 2424/आ0लि0–अ0न0आ0/न0नि0मे0/2023 दिनांक 14.09.2023 दी गयी है, जिसमें उल्लेख है कि ''विभागीय जांच के अनुसार प्रश्नगत सम्पत्ति/भू–खण्ड नगर निगम की सम्पत्ति नहीं है, मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ के पत्रांक 458/प्र0ख0जोन–ए 2023 दिनांक 04.07.2023 के अनुसार सांईपुरम दिल्ली रोड मेरठ पर स्थित सम्पूर्ण कालोनी का तलपट मानचित्र स्वीकृत नहीं है। सांईपुरम कालोनी मेरठ खास एवं हाफिजाबाद मेवला के खसरा नम्बरान में है जिसका मेरठ महायोजना 2021 के ब्राड भू0 उपयोग के अनुसार सम्पूर्ण भाग आवासीय क्षेत्र (मध्यम घनत्व 300–450 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर) के अन्तर्गत आता है। प्रश्नगत क्षेत्र में लगभग 35–40 वर्ष पूर्व अवैध रूप से कालोनी काटी गयी थी। तत्समय उक्त भूखण्डों को जिन लोगों द्वारा कय किया गया उनके द्वारा कालांतर में आवासीय उपयोग न करके उस पर औद्योगिक गतिविधियों के अन्तर्गत फैक्ट्री आदि का निर्माण करने लगे जो पिछले 30–35 वर्षो से लगातार चल रहा है। मेरठ महायोजना में आवासीय भू–उपयोग होने के कारण उक्त क्षेत्र के औद्योगिक मानचित्र स्वीकृत नहीं किया गया। प्रकरण मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ से सम्बन्धित है।''

उक्त के संबंध में सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ द्वारा अपने पत्रांक 206/प्रवर्तन खण्ड जोन–ए/23 दिनांक 15.09.2023 के द्वारा आख्या दी गयी है कि ''कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट के पत्रांक 1486/जे0ए0प्रथम/15–मिस/एन0जी0टी0 2023 दिनांक 16.06.2023 के कम में दिनांक 17.06.2023 महोदय के समक्ष सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता श्री चन्द्रशेखर द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या 61/एम0डी0ए0 दिनांक 30.12.82 से 29.12.85 की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत मानचित्र के संबंध में नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ से आख्या प्राप्त की गयी। नगर नियोजक द्वारा अपनी आख्या दिनांक 17.06.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत तलपट मानचित्र की पत्रावली न तो प्राधिकरण रिकार्ड में उपलब्ध है और न ही मानचित्र अनुभाग में। ऐसी स्थिति में कथित तलपट मानचित्र संख्या 61/एम0डी0ए0 सांईपुरम दिल्ली रोड मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ से स्वीकृत होना नहीं पाया जाता है।

यहां यह भी अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता द्वारा जिस स्थल को पार्क की भूमि बतायी जा रही है, वह मेरठ महायोजना–2021 के अनुसार पार्क/ओपन क्षेत्र नहीं है। **शिकायतकर्ता द्वारा इंगित क्षेत्रफल मेरठ महायोजना–2021 के ब्रांड भू–उपयोग के अनुसार सम्पूर्ण भाग आवासीय क्षेत्र भू–उपयोग के अन्तर्गत आता है। ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता का यह कथन कि पार्क की भूमि पर निर्माण किया गया है, जो तथ्यों से परे है।** प्रश्नगत स्थल पर मेरठ महायोजना 2021 में इंगित भू–उपयोग यथा आवासीय के विरूद्व स्थल पर सांईपुरम कालोनी नाम से औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो गया है, जिस पर लघु उद्योग स्थापित कर औद्योगिक इकाई चालू है, जो मेरठ महायोजना 2021 की नितियों के विरूद्व है।

इस प्रकार मौके पर भू–उपयोग के विपरीत निर्माण लगभग 20–25 वर्ष पुराना औद्योगिक क्षेत्र निर्मित है, परन्तु पार्क/खुला स्थान/ग्रीन बेल्ट पर निर्माण होना नहीं पाया जा रहा है। अतः इस संबंध में एन0जी0टी0 के समक्ष दायर शिकायत आधारहीन एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

तदनुसार श्री चन्द्रशेखर गुप्ता पुत्र श्री किशन गुप्ता निवासी 103, गली नं0 3 सांईपुरम, दिल्ली रोड, मेरठ का प्रत्यावेदन दिनांक 21.04.2023 एवं दिनांक 22.08.2023, मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 20.04.2023 एवं दिनांक 16.08.2023 के अनुपालन में तदनुसार निस्तारित किया जाता है। प्रत्यावेदक को सूचित किया जाये।

(दीपक मीणा)
जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

पत्रांकः–4017/जे0ए0प्रथम/प्रत्यावेदन–चन्द्रशेखर गुप्ता/2023 दिनांकः– 03–11–2023

प्रतिलिपि–निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1–मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली।

2–सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रकरण में भू–उपयोग के विपरीत निर्माण के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3–प्रत्यावेदक श्री चन्द्रशेखर गुप्ता निवासी–103, गली नं0–03 सांई पुरम, दिल्ली रोड, मेरठ।

3/11/2023
जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 206 /प्रवर्तन खण्ड जोन–ए/23 दिनांक 15-9-23

प्रेषक,

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा मे,

जिलाधिकारी,
मेरठ।

विषयः– **पत्रांक संख्या–2023/जे0ए0 प्रथम/5–मिस/एन0जी0टी0 2023 दिनांक 26.07.2023 एवं 2262/जे0ए0 प्रथम/15–मिस/एन0जी0टी0 2023 दिनांक 14.08.2023 एवं 2476/जे0ए0 प्रथम/15–मिस/एन0जी0टी0 2023 दिनांक 30.08.2023 एवं 2571/जे0ए0 प्रथम/15–मिस/एन0जी0टी0 2023 दिनांक 11.09.2023 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अपने पत्र 2023/जे0ए0 प्रथम/5–मिस/एन0जी0टी0 2023 दिनांक 26.07.2023 एवं 2262/जे0ए0 प्रथम/15–मिस/एन0जी0टी0 2023 दिनांक 14.08.2023 एवं 2476/जे0ए0 प्रथम/15–मिस/एन0जी0टी0 2023 दिनांक 30.08.2023 एवं 2571/जे0ए0 प्रथम/15–मिस/एन0जी0टी0 2023 दिनांक 11.09.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसमें साईपुरम कॉलोनी मेरठ खास एवं हाफिजाबाद मेवला क्षेत्र में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.04.2023 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या 331/प्र0ख0 जोन–ए दिनांक 22.05.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसमें आख्या महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। पुनः कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट के पत्रांक 1486/जे0ए0 प्रथम/15–मिस/एन0जी0टी0 2023 दिनांक 16.06.2023 के क्रम में दिनांक 17.06.2023 महोदय के समक्ष सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता श्री चन्द्रशेखर द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या 61/एम0डी0ए0 दिनांक 30.12.82 से 29.12.85 की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी। शिकयतकर्ता द्वारा प्रस्तुत मानचित्र के सम्बन्ध में नगर नियोजक मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ से आख्या प्राप्त की गयी। नगर नियोजक द्वारा अपनी आख्या दिनांक 17.06.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत तलपट मानचित्र की पत्रावली न तो प्राधिकरण रिकोर्ड में उपलब्ध है और न ही मानचित्र अनुभाग में। ऐसी स्थिति में कथित तलपट मानचित्र संख्या 61/एम0डी0ए0 साईपुरम दिल्ली रोड, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ से स्वीकृत होना नही पाया जाता है।

यहा यह भी अवगत कराना है शिकायतकर्ता द्वारा जिस स्थल को पार्क की भूमि बतायी जा रही है, वह मेरठ महायोजना–2021 के अनुसार पार्क/ओपन क्षेत्र नही है। **शिकायतकर्ता द्वारा इंगित क्षेत्रफल मेरठ महायोजना 2021 के ब्रांड भू–उपयोग के अनुसार सम्पूर्ण भाग आवासीय क्षेत्र भू–उपयोग के अन्तर्गत आता है। ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता का यह कथन कि पार्क की भूमि पर निर्माण किया गया है, जो तथ्यों से परे है।** प्रश्नगत स्थल पर मेरठ महायोजना 2021 में इंगित भू–उपयोग यथा आवासीय के विरूद्ध स्थल पर साईपुरम कॉलोनी नाम से औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो गया है, जिस पर लघुउद्योग स्थापित कर औद्योगिक इकाई चालू हैं, जो मेरठ महायोजना 2021 की नितियों के विरूद्ध है।

इस प्रकार मौके पर भू–उपयोग के विपरीत निर्माण लगभग 20–25 वर्ष पुराना औद्योगिक क्षेत्र निर्मित है, परन्तु पार्क/खुला स्थान/ग्रीन बेल्ट पर निर्माण होना नही पाया जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में एन0जी0टी0 के समक्ष दायर शिकायत आधारहीन एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि अपने स्तर से मा0 एन0जी0टी0 को अवगत कराने का कष्ट करे।

15/9/23

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक सं0– 510 /2023 दिनांकः 19-6-23

प्रेषक,

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मेरठ।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अभिक्ररण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–736/2018, एम0ए0नं0–26/2023 एक्जीक्यूशन एप्लीकेशन सख्या–14/2019 में पारित आदेश दिनांक 20.04.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र सख्या–331/प्र0ख0 जोन–ए दिनांक 22.05.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आख्या महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। पुनः कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट के पत्रांक सख्या–1486/जे0ए0प्रथम/15–मिस0/एन0जी0टी0–2023 दिनांक 16.06.2023 के क्रम में दिनांक 17.06.2023 महोदय के समक्ष सुनवाई के दौरान शिकायकर्ता श्री चन्द्रशेखर द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत तलपट मानचित्र सख्या–61/एमडीए दिनांक 30.12.82 से 29.12.85 की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी। शिकायकर्ता द्वारा प्रस्तुत मानचित्र के सम्बन्ध में नगर नियोजक मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ से आख्या प्राप्त की गयी। नगर नियोजक द्वारा अपनी आख्या दिंनाक 17.06.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि ***प्रश्नगत तलपट मानचित्र की पत्रावली न तो प्राधिकरण रिकोर्ड में उपलब्ध है और न ही मानचित्र अनुभाग में। इससे स्वतः स्पष्ट होता है कि तथा कथित तलपट मानचित्र सख्या–61/एमडीए साईपुरम दिल्ली रोड मेरठ विकास प्राधिकरण से कदापि स्वीकृत नहीं है।***

इससे स्पष्ट है कि शिकायकर्ता द्वारा प्रस्तुत तलपट मानचित्र की छायाप्रति नियमतः प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं है। शिकायकर्ता द्वारा जिस स्थल को पार्क की भूमि बतायी जा रही है वह मेरठ महायोजना–2021 के अनुसार पार्क/ओपन क्षेत्र नहीं है। शिकायकर्ता द्वारा इगिंत क्षेत्रफल मेरठ महायोजना–2021 के ब्रांड भू–उपयोग के अनुसार सम्पूर्ण भाग आवासीय क्षेत्र भू–उपयोग के अन्तर्गत आता है। ऐसी स्थिति में शिकायकर्ता का यह कथन कि पार्क की भूमि पर निर्माण किया गया है स्वीकार्य योग्य नहीं है। प्रश्नगत स्थल पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये गये अवैध निर्माण के विरूद्व उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि अपने स्तर से एन0जी0टी0 में कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

कार्यालय नगर निगम, मेरठ।

पत्रांक : 2424 /आ0लि0–अ0न0आ0/न0नि0मे0/2023 दिनांक 14/9/23

प्रेषक:

अपर नगर आयुक्त ,
नगर निगम मेरठ।

सेवा में,

जिलाधिकारी ,
मेरठ।

विषय :–**मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित एम0ए0 61/2023 ओ0ए0 सं0736/2018 (चन्द्रशेखर गुप्ता बनाम् उ0प्र0 राज्य) में पारित ओदश दिनांक 16.08.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध मे।**

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या 571/जी0/ओ0ए0–736/चन्द्रशेखर गुप्ता/एम0आर0टी0/2023 दिनांक 02.09.2023 का अवलोकंन करने का कष्ट करे, जिसके अर्न्तगत मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल नई दिल्ली के एम0ए0 नम्बर 26/2023 में एक्जीक्यूशन एप्लीकेशन नं0 14/2019 में ओ0ए0–736/2018 चन्द्रशेखर गुप्ता बनाम् स्टेट ऑफ यू0पी उक्त वाद में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण पारित ओदश दिनांक 16.08.2018 एवं 20.04.2023 के अनुपालन में कृत कार्यवाही करते हुये मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में एक्शन टेकन रिर्पोट (ए0टी0आर) समय से दाखिल करने के निर्देश है।

उक्त के सम्बन्ध में विभागीय जांच के अनुसार प्रश्नगत सम्पत्ति/भू–खण्ड नगर निगम की सम्पत्ति नही है, मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ के पत्रांक 458/प्र0ख0जोन–ए 2023 दिनांक 04.07.2023 के अनुसार साईपुरम दिल्ली रोड़ मेरठ पर स्थित सम्पूर्ण कालोनी का तलपट मानचित्र स्वीकृत नही है। साईपुरम कालोनी मेरठ खास एवं हाफिजाबाद मेवला के खसरा नम्बरान में है जिसका मेरठ महायोजना 2021 के ब्रॉड़ भू0 उपयोग के अनुसार सम्पूर्ण भाग आवासीय क्षेत्र (माध्यम धनत्व 300–450 व्याक्ति प्रति हैक्टेयर) के अर्न्तगत आता है। प्रश्नगत क्षेत्र में लगभग 35–40 वर्ष पूर्व अवैध रूप से कालोनी काटी गयी थी। ततसमय उक्त भूखण्डो को जिन लोगों द्वारा क्रय किया गया उनके द्वारा कालांतर में आवासीय उपयोग न करके उसपर औद्यौगिक गतिविधियों के अन्तर्गत फैक्ट्री आदि का निर्माण करने लगे जो पिछले 30–35 वर्षो से लगतार चल रहा है। मेरठ महायोजना में आवासीय भू–उपयोग होने के कारण उक्त क्षेत्र के औद्यौगिक मानचित्र स्वीकृत नही किया गया। प्रकरण मेरठ विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित है।

इस कार्यालय के पत्र संख्या 2051/आ0लि0--स0न0आ0/2023 दिनांक 30.05.2023 व पत्रांक संख्या 2209/आ0लि0–अ0/न0नि0मे/2023 दिनांक 14.07.2023 के द्वारा अपर जिलाधिकारी मेरठ को आख्या भेजी गयी है।गये है। जिसकी छायाप्रति शुलग्न सन्दर्भ हेतु संलग्न है। प्रकरण मेरठ विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित है नगर निगम से कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।

1064
JA I

अतः उपरोक्तानुसार उक्त वाद में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में पारित ओदश दिनांक 16.08.2023 एवं 24.04.2023 के अनुपालन में मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ से एक्शन टेकन रिर्पोट (ए0टी0आर0) तैयार कराया जाना उचित होगा। आख्या सादर सेवा में प्रेषित।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम मेरठ।

प्रतिलिपिः–

1. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर जिलाधिकारी नगर मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी विधि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर जिलाधिकारी (नगर) मेरठ 14/9/23

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम मेरठ।

LETTER–3

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, मेरठ